Case 268

दिनांक 13.07.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई, वाद पुकारा गया। परिवादी अनुपस्थित। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश सिह न्यायालय में उपस्थित है। उनके द्वारा परिवादी की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या 49ख प्रस्तुत किया गया। सुना। न्यायहित में स्वीकार।

2. पत्रावली उपस्थिति अभियुक्त हेतु नियत है। अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त राजू शाह के विरूद्व पूर्व नियत तिथि दिनांक 21.12.2022 से दिनांक 27.06.2023 तक कई तिथियों पर जमानती अधिपत्र जारी किये जा रहे है। तामील रिपोर्ट न्यायालय मे वापस प्राप्त नही हो रहे है। अभियुक्त राजू शाह के विरूद्व गैर जमानती अधिपत्र जारी किया जाये। परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि 07 दिन भीतर पैरवी लेना सुनिश्चित करे।

3. पत्रावली उपस्थिति अभियुक्त हेतु दिनांक 28.07.2023 को पेश हो।

(पल्लवी गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
चमोली।